पत्रांक–11 / वि॰–228 / 2023............326

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

योगेन्द्र सिंह
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–...05.02.2025

विषय– राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट / उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक (कक्षा 9–10) एवं उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12) शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के राजकीय/ राजकीयकृत / प्रोजेक्ट / उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों द्वारा एवं वर्ष 2023 से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांन्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त अभ्यर्थियों का नियुक्ति किया जा रहा है। कतिपय जिलों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि उक्त कोटि के विद्यालयों में माध्यमिक (कक्षा 9–10) एवं उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12) शिक्षकों का कितना पद रखा जाए। ध्यातव्य हो कि वर्तमान में राजकीय/ राजकीयकृत / प्रोजेक्ट / उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–10 एवं कक्षा 11–12 की पढ़ाई की जा रही है। उन विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन हो, विभागीय स्तर पर समीक्षोपरांत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदस्थापन हेतु निम्नवत् मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं:–

माध्यमिक शिक्षक

क्रमांक	विषय का नाम	कुल विषय की संख्या	मानक शिक्षकों की संख्या	विद्यालय की कोटि जहाँ पद आवंटित किए जायेंगे
1	सामाजिक विज्ञान	01	01	राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट / उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय
2	गणित	01	01	
3	विज्ञान	01	01	
4	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, फारसी एवं अरबी	08	03	
5	विशेष शिक्षक	09	आवश्यकतानुसार	

पत्रांक- 326 05.2.2025

6	संगीत, ललितकला एवं नृत्य	03	01	केवल राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में
7	शारीरिक शिक्षक	01	01	

राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 08 माध्यमिक शिक्षकों (विशेष शिक्षक को छोड़कर) एवं उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 06 माध्यमिक शिक्षकों (विशेष शिक्षक को छोड़कर) का मानक निर्धारित किया जाता है।

इसी प्रकार उच्च माध्यमिक (कक्षा 11—12) शिक्षकों के पदस्थापन हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित किए जाते हैं:—

उच्च माध्यमिक

क्रमांक	विषय समूह का नाम	विषय का नाम	कुल विषय की संख्या	मानक शिक्षकों की संख्या	विद्यालय की कोटि जहाँ पद आवंटित किए जायेंगे
1	विज्ञान	भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, जन्तु विज्ञान	05	04 (जन्तु विज्ञान एवं वनस्पतिशास्त्र में से एक पद ही दिए जायेंगे)	राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट / उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय
2	कला	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान एवं दर्शनशास्त्र	08	04	
3	कम्प्यूटर	कम्प्यूटर	01	01	
4	भाषा	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, अरबी, फारसी, प्राकृत, मगही, पाली एवं बंगला	12	04	
5	संगीत	संगीत	01	01	
6	वाणिज्य	लेखाशास्त्र, बिजनेशस्टडी एवं इण्टरप्रेनियोरशीप	03	02	केवल राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय

राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 14 उच्च माध्यमिक शिक्षक का मानक निर्धारित किया जाता है।

५७१७
326
5.2.2025

2. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाषा का मानक निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू (जहाँ उर्दू भाषी छात्र हो) एवं संस्कृत (संस्कृत का छात्र उपलब्ध हो) विषय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का पद अवश्य दिया जाय।
3. संगीत विषय के शिक्षकों के मानक निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उक्त विद्यालय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विषय के संगीत शिक्षक में से एक ही शिक्षक का पदस्थापन किया जायेगा।
4. एक कक्षा में 60 छात्र/छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में उपकक्ष (Section) का संचालन किया जा सकता है। तदनुरूप शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर मानक निर्धारण किया जाय। शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के क्रम में यह ध्यान देना समीचीन होगा कि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय दिवस पर अधिक से अधिक कक्षाओं का संचालन अवश्य करें। कक्षाओं के संचालन के क्रम में संबंधित विषय के शिक्षकों की अनुपलब्धता एवं आवश्यकता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षक वर्ग 11–12 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 09–10 के कक्षाओं में पठन–पाठन का कार्य करेंगे। साथ ही विद्यालय में समुचित आधारभूत संरचना हो। यदि किसी विषय में 02 से अधिक शिक्षक की आवश्यकता हो तो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षकों का मानक निर्धारण किया जा सकता है।
5. विषय विसंगति के निर्धारण हेतु उक्त मापदण्ड के आधार पर यदि किसी विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक की स्थानान्तरण की कार्रवाई की आवश्यकता हो तो संबंधित शिक्षक का विभाग के स्तर से निर्गत स्थानान्तरण नीति के अनुरूप स्थानान्तरण की कार्रवाई किया जा सकता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई–शिक्षा कोष पोर्टल पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों का विद्यालयवार स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आकड़ों की प्रविष्टि 03 दिनों के अन्दर कराना सुनिश्चित किया जाय। इससे संबंधित पूर्व से निर्गत सभी मापदण्ड उक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(योगेन्द्र सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।